Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding remarks made by US Commission on International Religious Freedom against the Home Minister Sh. Amit Shah.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल कुछ न्यूजपेपर और टीवी चैनल्स पर US Commission on International Religious Freedom ने अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ सैंक्शन लगाने की बात की है ।…(व्यवधान) सर, यह देश संविधान से चलता है और जो अधिकार और कर्तव्य है, उसमें संविधान का जो 51(A) है, वह यह कहता है कि कोई भी नागरिक ;

> "(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
>
> (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;"

इस देश के गृह मंत्री ने इस देश की सुरक्षा, रक्षा, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए, लोगों को नागरिक बनाने के लिए जो काम किया और जो हमारी पार्लियामेंट का अधिकार है, जो हमारी संप्रभुता पर उस यूएस के कमीशन ने अटैक किया है ।…(व्यवधान) यह केवल पार्टीज़न एंगल का सवाल नहीं है ।…(व्यवधान) आज हम सरकार में हैं, कल आप सरकार में होंगे ।…(व्यवधान) कल आप कोई कानून बनाएंगे और इस तरह से कोई दूसरा देश यदि आपके व्यक्ति को, आपके गृह मंत्री को, आपके प्रधान मंत्री को इस तरह की बातें कहेगा, तो यह हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है ।…(व्यवधान) इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि यह देश के लिए शर्मनाक बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यह रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और यूएस को एक कड़ा मैसेज देना चाहिए कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करिए ।…(व्यवधान) हमने जो काम किया है, वह अपने देश के लिए किया है । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, श्री विनोद कुमार सोनकर, डॉ. संजय जायसवाल, श्री एस.सी. उदासि और श्री तेजस्वी सूर्या को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।